रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 26 मई, 2007/5 ज्येष्ठ, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171 009, 25 मई, 2007

संख्या 7–2/2000–ई0एल0एन0.––भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/4/आई0डी0/2007/न्या0अनु0–II (उप), दिनांक 22 मई, 2007 जिसमें 4–हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप–निर्वाचन–2007 के लिए आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, का इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है ।

ओदश से,

मनीषा नन्दा,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

671–राजपत्र/2007–26–5–2007—1,425. मूल्य : 1 रुपया।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली–110001

संख्या 3/4/आई0 डी0/2007/न्यायिक अनुभाग–II (उप). तारीख 22 मई, 2007

आदेश

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटाग्राफ सहित फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किये गये हैं उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान–पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्य पूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान–पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान–पत्र जारी किया गया है वहां दोनों का ही साथ–साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यतः, निर्वाचन अयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन–तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान–पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्रों और इलाकों में अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए हैं; और

7. यतः, जनवरी–मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक हुए सभी उप–निर्वाचनों और सभी साधारण निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए जा चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान–पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों, जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

8. यतः, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि हिमाचल प्रदेश में 4–हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी किए गए हैं उनहें 8 मई, 2007 को अधिसूचित लोक सभा के लिए उपर्युक्त चालू उप निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा ।

9. तथापि, निर्वाचन आयोग उन निर्वाचकों को चालू उप–निर्वाचन में मत देने की अनुमति देगा, जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान–पत्र जारी नहीं किए हैं, बशर्ते उनकी पहचान निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर हो जाती है:–

(i) पासपोर्ट;
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स;
(iii) आयकर पहचान पत्र (पी0ए0एन0);
(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान–पत्र;
(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर/विकास पासबुक (31–3–2007 को या उससे पूर्व खोला गया खाता);
(vi) 31–3–2007 को या उससे पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी छात्र पहचान–पत्र;
(vii) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि;
(viii) 31–3–2007 को या उससे पूर्व जारी राशन कार्ड;
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31–3–2007 को या उससे पूर्व जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र;
(x) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश;
(xi) 31–3–2007 को या उससे पूर्व जारी रेलवे पहचान–पत्र;
(xii) स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र;
(xiii) 31–3–2007 को या उससे पूर्व जारी शस्त्र लाइसेंस;

(xiv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31–3–2007 को या उससे पूर्व जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र;

(xv) ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका समिति इत्यादि के द्वारा यथा अनुरक्षित तथा ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31–3–2007 तक विधिवत् जारी परिवार रजिस्टर की प्रति;

(xvi) राजस्व अधिकारी जैसे एस0डी0एम0/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी अधिकास प्रमाण–पत्र (हिमाचली प्रमाण–पत्र)

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर बताए गए कोई भी दस्तावेज, जो केवल परिवार के मुखिया के लिए ही उपलब्ध है, परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएं और अन्य सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए ।

आदेश से,
हस्ता/–
(के0 एफ0 विल्फेड),
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/2007/J.S.II/(BYE) Dated 22nd May, 2007

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors, Identity

Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960 the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonicus reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be seen together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993 directing the issue of Electors Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Himachal Pradesh, has issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000 and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who are issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 4-Hamirpur Parliamentary Constituency in Himachal Pradesh, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current bye-election to the House of the People referred to above, notified on 8th May, 2007.

9. The Election Commission will, however, permit the electors who have not been issued their EPICs to vote at the bye-election, provided their identity is otherwise established by the production of any of the following alternative documents:—

(i) Passports;
(ii) Driving Licences;
(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards;

(iv) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Uundertakings, Local Bodies or Public Limited Companies;

(v) Passbooks issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan Passbooks (Accounts opened on or before 31-3-2007);

(vi) Student Identity Cards issued by Recognised Educational Institutions on or before 31-3-2007;

(vii) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds; etc.

(viii) Ration Cards issued on or before 31-3-2007;

(ix) SC/ST/OBC Certifications issued by competent authority on or before 31-3-2007;

(x) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order,Widow Pension Order;

(xi) Railway Identification Cards issued on or before 31-3-2007;

(xii) Freedom Fighter Identity Cards;

(xiii) Arms Licenses issued on or before 31-3-2007;

(xiv) Certificate of Physical Handicap by Competent Authority issued on or before 31-3-2007;

(xv) Copy of parivar register as maintained by Gram Panchayat/Urban Local Bodies like Municipal Committees etc. and duly issued by Gram Panchayat and Vikas Adhikari/competent authorities upto 31-3-2007;

(xvi) Domicile certificate (Himachali certificate) issued by a revenue officer like SDM/Tehsildar/Naib Tehsildar.

10. It is clarified that any document, as enumerated above, which is available only for the Head of Family, shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family provided that all the members come together and are identified by the head of the family.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED),
Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित